कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः शिविरा–माध्य/संस्था/ए–2–7/सन्त कुमार मेहरडा–पीएफ/2017 दिनांकः 19.12.2017 द्वारा श्री सन्त कुमार मेहरडा, तत्समय प्रधानाचार्य राउमावि जोगलिया–सुजानगढ (चुरू) को प्रशासनिक कारणों से आदेशों की प्रतीक्षा में कर मुख्यालय कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर किया गया था। तत्पश्चात् कार्यालय आदेशांकः शिविरा–माध्य/संस्था/बी–2/45002/एपीओ–पदस्थापन/ 2017 दिनांकः 02.01.2018 द्वारा श्री मेहरडा का पदस्थापन राउमावि रायथल–आहोर, जिला जालौर किया गया।

उक्त आदेश को चुनौती देते हुए श्री सन्त कुमार मेहरडा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 972/2018 सन्त कुमार मेहरडा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.01.2018 में प्रार्थी को समुचित प्राधिकारी के समक्ष दो सप्ताह के भीतर अपना अभ्यावेदन पेश करने की स्वतन्त्रता प्रदान कर समुचित प्राधिकारी द्वारा उक्त अभ्यावेदन का 8 सप्ताह के भीतर निस्तारण करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

प्रार्थी द्वारा अपने अभ्यावेदन में स्वास्थ्य सम्बन्धी कारणों का हवाला देते हुए अपना पदस्थापन झुन्झुनु जिले में राउमावि–पपुरना, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) झुन्झुनु, राउमावि–कैंरू, झुन्झुनु अथवा राउमावि–श्यामपुरा, झुन्झुनु में प्रधानाचार्य अथवा समकक्ष के किसी रिक्त पद पर किये जाने की परिवेदना की गई।

प्रार्थी से सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को पूर्व में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत रहते हुए ग्रामवासी–जोगलिया सुजानगढ, चुरू की शिकायत पर पोषाहार सम्बन्धी अनियमितताओं के चलते विभाग की ओर से दिनांक 19.09.17 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसका प्रार्थी की ओर से कोई सन्तोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर प्रार्थी को कार्यालयादेश दिनांक 19.12.2017 द्वारा आदेशों की प्रतीक्षा में किया गया। तत्पश्चात् प्रशासनिक आवश्यकता और विभागीय हित को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी का पदस्थापन राउमावि–रायथल, आहोर जिला जालौर किया गया। प्रार्थी द्वारा धारित प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष का पद राज्य शिक्षा सेवा के राजपत्रित स्तर के अधिकारी का पद है और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय जगमोहन बनाम सरकार प्रकरण के अनुसार राज्य एवं लोकहित में इनका पदस्थापन राज्य में कहीं पर भी किया जा सकता है। उपर्युक्त परिस्थितियों के मध्यनजर याचिकार्थी **श्री सन्त कुमार मेहरडा, प्रधानाचार्य राउमावि–रायथल, आहोर, जालौर का अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।** सभी सम्बन्धित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/सन्त कुमार/याचिका–972/2018 दिनांकः 09.03.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा पाली।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा जालौर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. संबंधित कार्मिक/याचिकार्थी को आदेश की पालनार्थ।
8. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)